

कार्यालय जिलाधिकारी,मैनपुरी


संख्या- 1268 /आबकारी मैनपुरी/दौआ0/व्यवस्थापन 2019-20/दिनांक:सितम्बर 11 2019


विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि लाइसेंस प्राधिकारी/जिलाधिकारी के आदेश दि०-28.8.2019 द्वारा निलंबित देशी शराब दुकान करहल नं०-03 का 14 दिवसों (14.9.019 से 27.9.2019 तक) की अवधि या नियमित व्यवस्था के दिनांक इनमें से जो भी पहले हो,के लिए आगणित देयताओं पर ऑफर दिनांक 13.9.2019 को अपराह्न 3.00 बजे तक आमंत्रित किये जाते हैं। दो या दो से अधिक समान ऑफर प्राप्त होने पर सार्वजनिक लाटरी के माध्यम से दुकान का व्यवस्थापन कराया जायेगा। आवेदक द्वारा आवेदन करते समय प्रार्थना पत्र के साथ,दिये गये ऑफर में अंकित बेसिक लाइसेंस फीस की धनराशि का बैंक ड्राफ्ट (जो जिला आबकारी अधिकारी,मैनपुरी के नाम देय होगा),आधार कार्ड व पेनकार्ड की छायाप्रति एवं एक फोटोग्राफ संलग्न करना अनिवार्य होगा। चयन के पश्चात् लाइसेंस फीस के 1/10 भाग के बराबर प्रतिभूति धनराशि का बैंक ड्राफ्ट जमा करना होगा। प्राप्त ऑफर दिनांक 13.9.2019 को अपराह्न 3.30 बजे कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी कलैक्ट्रेट मैनपुरी में खोले जायेंगे।दुकान का विवरण निम्नवत् है:-

दुकान का नाम	वार्षिक एम०जी०क्यू०	01 दिन का एम०जी०क्यू०	14 दिन का एम०जी०क्यू०	14 दिन के लिए बेसिक लाइसेंस फीस
देशी शराब दुकान करहल नं० 03	13176 ब०ली०	36.10 ब०ली०	506 ब०ली०	रु०-15180.00

इच्छुक व्यक्ति अपना ऑफर दिनांक 13.9.2019 के अपराह्न 3.00 बजे तक कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी कलैक्ट्रेट मैनपुरी में प्रस्तुत कर सकता है। विस्तृत जानकारी कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, मैनपुरी से प्राप्त की जा सकती है।


(महेन्द्र पाल) 11/9/19
जिला आबकारी अधिकारी,
मैनपुरी।


(प्रमोद कुमार उपाध्याय)
लाइसेंस प्राधिकारी/
जिलाधिकारी,मैनपुरी

संख्या- 1269-70/तददिनांक।

प्रतिलिपि:-1. सम्पादक अमर उजाला/ हिन्दुस्तान मैनपुरी को इस अनुरोध के साथ कि विज्ञप्ति सशुल्क न्यूनतम स्थान में अपने समाचार पत्र में प्रकाशित कराने का कष्ट करें तथा बिल जिला सूचना अधिकारी,मैनपुरी से प्रमाणित कराकर भुगतान हेतु प्रस्तुत करें।

2.जिला सूचना अधिकारी मैनपुरी को:जनपद की वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित।


(महेन्द्र पाल) 11/9/19
जिला आबकारी अधिकारी
मैनपुरी।